न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—588 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. रवि कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

—

वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र दलीपराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी संगरिया जिला हनुमानगढ
2. रितु पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. श्री योगन्द्र मूण्ड — वादी
2. श्री संजय धारणियां — प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राजपैरोकार

निर्णय दिनांक 28 / 12 / 2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 14 एमजेडी खाता सं. 94 / 56 में प्रतिवादी सं1 के नाम से कुमल 2.593 है. रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की साझा कृषि भूमि है उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 की विरासतन कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादी व प्रतिवादी 1 ता 2 ने घरू तौर पर उक्त भूमि का विभाजन कर लिया है। घरू विभाजन अनुसार वादी को चक 14 एमजेडी के खाता सं. 94 / 56 में कुल 2.593 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है। जिसे वाी अपने नाम से घोषित करवाकर करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादी को चक 14 एमजेडी के खाता सं. 94 / 56 में कुल 2.593 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि प्रतिवादी सं. 2 न अपने हक व हिस्सा का परित्याग घरू विभाजन अनुसार वादी के पक्ष में कर दिया है अब प्रतिवादी सं. 2 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है।

यह कि वादी मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 3 अनुसार ही काबिज कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार

घोषणा व विभाजन न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकब राज वाटरमेंट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. 3, 4 अनुसार कृषि भूमि की घोषण होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गय यही वादी का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता संजय धारणिया ने वकालतनामा पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 2 की और से राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 2 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के वाद पत्र/जवाब दावा/राजीनामा से सहमति स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 3 अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 14 एमजेडी के खाता सं. 94/56 में कुल 2.593 है. रकबे का वादी रवि कुमार पुत्र रामकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी हद तक उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 रामकुमार पुत्र दलीपराम का हिस्सा कम/नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 588/2022

1. रवि कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट साकिन 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र दलीपराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी संगरिया जिला हनुमानगढ

2. रितु पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलारनियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री योगन्द्र मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणिया वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– चक 14 एमजेडी के खाता सं. 94/56 में कुल 2.593 है. रकबे का वादी रवि कुमार पुत्र रामकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी हद तक उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 1 रामकुमार पुत्र दलीपराम का हिस्सा कम/नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज......Nil........नल......Nil........मुब्लिक.....Nil.........निल.....Nil..........बाबत्......Nil....... .निल....Nil..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... Nil........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/12/2022 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official